

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक (नियोजन), विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित।
सभी जिला नियोजन पदाधिकारी।
सभी नियोजन पदाधिकारी, वि0वि0नि0सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र।

पटना-01, दिनांक-26/12/2025

विषय:-“नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम” स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला स्तरीय नियोजन मेला के आयोजन हेतु ₹14,50,000 (रुपये चौदह लाख पचास हजार) मात्र निधि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय राज्यादेश सं0-477 दिनांक-07.05.2025 एवं विभागीय राज्यादेश सं0-87 दिनांक-20.01.2026 द्वारा स्वीकृत “नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम” स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संलग्न विवरणी के स्तम्भ (D) जिला स्तरीय नियोजन मेला के आयोजन के लिए ₹14,50,000 (रुपये चौदह लाख पचास हजार) मात्र की राशि का आवंटन दिया जा रहा है।

2. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष- “2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवायें, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण उप शीर्ष-0101-नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम मांग संख्या-26 विपत्र कोड संख्या-26-2230020030101 चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राशि, के अन्तर्गत कंडिका-D से संबंधित कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष- “0101 20.02 - कॉन्फरेन्स कार्याशाला सेमिनार मद से विकलनीय होगा।

3. इस राशि का आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-3576 दिनांक-01.04.2024, वित्तीय नियमावली-2005, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/निदेशों एवं CFMS में मुक्त किये गये राशि के अनुसार दी जा रही है। इस राशि का व्यय समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S)/समय-समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।

4. आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 के विषयांकित योजना के तहत चालू वर्ष अवधि में राशि का व्यय किया जाय। उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी मद में राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

5. हर महीने टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को हर माह के दिनांक 03/04 कार्य दिवस तक उपलब्ध कराना सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

6. राशि की निकासी वित्तीय नियमावली/निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाय तथा व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार को देते हुए इसकी एक प्रति निदेशालय नियोजन मुख्यालय को भी निश्चित रूप से दे दी जाय।

✓

✓


✓

कृ0पृ0उ0

7. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन), जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी होंगे।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


निदेशक,


नियोजन एवं प्रशिक्षण।

पटना-01, दिनांक-26/2/2025

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5005/2025-24

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण।

52

882

नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम स्कीमन्तर्गत व्यय शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवायें, समूह शीर्ष राज्य स्कीम, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0101-
 'नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम' माँग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230020030101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित राशि।
 पत्रांक-2/यो०-5005/2025- पटना-01, दिनांक-

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पदनाम	(A) सीआईसी के संचालन हेतु आवंटित राशि विषय शीर्ष-0101.13 01-कार्यालय व्यय	(B) स्टडी किट उपलब्ध कराने हेतु आवंटित राशि विषय शीर्ष-0101.13 01-कार्यालय व्यय	(C) जिला स्तर पर आयोजित जॉब कैम्प पर होने वाले व्यय हेतु आवंटित राशि विषय शीर्ष-0101.20 02-कॉन्फरेंस कार्याशाला सेमिनार	(D) जिला स्तरीय नियोजन मेला के आयोजन हेतु आवंटित राशि विषय शीर्ष-0101.20 02-कॉन्फरेंस कार्याशाला सेमिनार	कुल योग: (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंप्रांनि०, पटना	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, पटना					-
2	अंप्रांनि०, गया	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, गया				70,000	70,000
3	अंप्रांनि०, मुज०	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, मुज०				50,000	50,000
4	अंप्रांनि०, दरमंगा	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, दरमंगा				-	-
5	अंप्रांनि०, छपरा	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, छपरा				-	-
6	अंप्रांनि०, सहरसा	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, सहरसा				1,50,000	1,50,000
7	अंप्रांनि०, भागलपुर	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, भागलपुर				50,000	50,000
8	अंप्रांनि०, डालमियानगर	सहायक निदेशक (नियोजन), अंप्रांनि०, डालमियानगर				-	-
9	जिला नियोजनालय, नालंदा	जिला नियोजन पदाधिकारी, नालंदा				-	-
10	जिला नियोजनालय, भोजपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर				50,000	50,000
11	जिला नियोजनालय, जहानाबाद	जिला नियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद				20,000	20,000
12	जिला नियोजनालय, बक्सर	जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर				50,000	50,000
13	जिला नियोजनालय, औरंगाबाद	जिला नियोजन पदाधिकारी, औरंगाबाद				-	-
14	जिला नियोजनालय, नवादा	जिला नियोजन पदाधिकारी, नवादा				50,000	50,000
15	जिला नियोजनालय, मुँगेर	जिला नियोजन पदाधिकारी, मुँगेर				-	-
16	जिला नियोजनालय, खगड़िया	जिला नियोजन पदाधिकारी, खगड़िया				-	-
17	जिला नियोजनालय, कटिहार	जिला नियोजन पदाधिकारी, कटिहार				-	-
18	जिला नियोजनालय, पूर्णिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णिया				-	-
19	जिला नियोजनालय, मधेपुरा	जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा				1,00,000	1,00,000
20	जिला नियोजनालय, बेगुसराय	जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगुसराय				50,000	50,000
21	जिला नियोजनालय, समस्तीपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, समस्तीपुर				-	-
22	जिला नियोजनालय, मधुबनी	जिला नियोजन पदाधिकारी, मधुबनी				50,000	50,000
23	जिला नियोजनालय, मोतिहारी	जिला नियोजन पदाधिकारी, मोतिहारी				-	-
24	जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी	जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी				60,000	60,000
25	जिला नियोजनालय, बेतिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया				-	-
26	जिला नियोजनालय, वैशाली (हाजीपुर)	जिला नियोजन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)				5,00,000	5,00,000
27	जिला नियोजनालय, सिवान	जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान				50,000	50,000
28	जिला नियोजनालय, गोपालगंज	जिला नियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज				-	-
29	जिला नियोजनालय, अरवल	जिला नियोजन पदाधिकारी, अरवल				-	-
30	जिला नियोजनालय, शिवहर	जिला नियोजन पदाधिकारी, शिवहर				50,000	50,000
31	जिला नियोजनालय, बाँका	जिला नियोजन पदाधिकारी, बाँका				-	-

